संचिका सं0–22/अनु0–05/2012 (खण्ड)–सा0प्र0 1866/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 4-2-2015

विषयः– **बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के अधिसूचित होने की तिथि के पूर्व प्राप्त अष्टम् उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समूह 'घ' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) नियमावली, 2010 के तहत समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता अष्टम उत्तीर्ण निर्धारित है परन्तु, बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के तहत समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित कर दी गयी है।

2. सचिवालय के विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों से केन्द्रीय अनुकम्पा समिति के विचारार्थ ऐसे मामले प्राप्त हो रहे हैं जिसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) या समकक्ष उत्तीर्ण नहीं हैं परन्तु उनके द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में अपना आवेदन बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के अधिसूचित होने के पूर्व समर्पित किये गये हैं। इसी प्रकार के मामले जिला अनुकम्पा समितियों को भी विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त हो रहे हैं जिसमें निर्णय लेने में उन्हें कठिनाई हो रही है तथा उनके द्वारा उपर्युक्त बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है।

3. यद्यपि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं0–19553 दिनांक 26.12.2013 के तहत यह निर्णय लिया जा चुका है कि बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक–12.12.2012 के पूर्व तक प्राप्त विचाराधीन मामले में पूर्व की नियमावली के अनुसार समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता अष्टम् वर्ग उत्तीर्ण ही रहेगी, परन्तु किस प्रकार के मामले 'विचाराधीन मामले' की श्रेणी में आयेंगे तथा आज की तिथि में उन मामलों पर

पूर्व की नियमावली के अनुसार अष्टम् उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समूह 'घ' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा सकती है अथवा नहीं, के संबंध में निर्णय सरकार के विचाराधीन था।

4. समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि विचाराधीन मामले की श्रेणी में सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों से प्राप्त वैसे आवेदनों को मान्य किया जाएगा जो संबंधित विभाग/कार्यालय, जहाँ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक पदस्थापित थे, में मृतक के आश्रित द्वारा दिनांक–12.12.2012 से पूर्व अर्थात् दिनांक–11.12.2012 तक समर्पित किये जा चुके हैं तथा मामला विभागीय/कार्यालय /अनुकम्पा समिति के स्तर पर लंबित हैं। बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2012 के अधिसूचित होने की तिथि दिनांक–12.12.2012 के पूर्व आर्थात् 11.12.2012 तक संबंधित विभाग/कार्यालय में समर्पित आवेदन पर आज की तिथि में अनुकम्पा समितियों द्वारा विचार करते समय समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करते समय वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्व की नियमावली, बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुसार अष्टम् उत्तीर्ण ही मानी जाय। परन्तु, अष्टम् उत्तीर्णता के आधार पर समूह 'घ' के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2937 दिनांक–31.03.2011 की कंडिका–03 (ii) एवं 7099 दिनांक–01.08.2011 की कंडिका–03 में विहित प्रावधानानुसार नियुक्ति की तिथि से उन्हें ग्रेड पे रू0 1650.00 तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति की तिथि से ही ग्रेड पे रू0 1800.00 एवं वेतन वृद्धि देय होगी।

विश्वासभाजन

2/2/2015

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव